हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

10-03-2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी के दादा का सही नाम रोहतानसिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम शैतानसिंह दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व लोक अदालत कैम्प मावण्डा कलां में प्रार्थना पत्र संख्या 25/2016 उनवानी राजकुमारी बनाम भूमिधारी के निर्णय दिनांक 21.06.2016 प्रस्तुत किया हैं जिसमें प्रार्थी के दादा का सही नाम करने का निर्णय हुआ हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम शैतानसिंह अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के दादा का सही नाम रोहतानसिंह है की पुष्टि राजस्व लोक अदालत प्रार्थना पत्र संख्या 25/2016 उनवानी राजकुमारी बनाम भूमिधारी के निर्णय दिनांक 21.06.2016 जिनमें प्रार्थी का सही नाम है से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि भूमि ख. नं. 29, 51, 52, 212, 65, 237 व 67 तन ग्राम जाटाहाला पटवार हल्का मावण्डा कलां तह. नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा नाम शैतानसिंह के स्थान पर रोहतानसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:48 IST
Reason: SelfAttested